न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

निर्णयः 28.4.2025

मुकदमा नंबर 10/2024

ऑनलाईन जीसीएमएस नंबर 2024/478

हुकमाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट उम्र 73 वर्ष निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अपीलान्ट—

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सूडसर पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़

—रेस्पोडेन्टान—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वंय।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट की ओर अपील निम्न से प्रस्तुत है कि अपीलान्ट अनपढ़ गरीब ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसकी स्व अर्जित खरीदशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 792/774 तादादी 0.1265 हैक्टेयर रोही देराजसर में स्थित है उक्त खसरा भूमि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2012 को खरीद की है। अपीलान्ट की खरीद शुदा भूमि का इन्तकाल रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा दिनांक 06.08.2012 को स्वीकृत किया गया उक्त इन्तकाल की कार्यवाही अपीलान्ट के विक्रय पत्र के आधार पर खोली गई जिसमें इन्तकाल संख्या 265 के कॉलम संख्या 9 में अपीलान्ट के नाम के आगे विक्रयपत्र के पक्षकार महेशकुमार के पिता रामचन्द्र का नाम गलत दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट के पिता का नाम ताजाराम दर्ज किया जाना था। उक्त इन्तकाल की पृविष्ठी गलत दर्ज की गई। अपीलान्ट के नाम खेत खसरा नम्बर 792/774 रोही देराजसर की खातेदारी इन्तकाल संख्या 265 के आधार पर दर्ज की गई जिसमें भी अपीलान्ट के पिता का नाम गलत रूप से रामचन्द्र दर्ज किया गया है। अपीलान्ट अनपढ़ व्यक्ति है जो कि अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज चला आ रहा है। अपीलान्ट ने दिनांक 29.11.2024 को अपने खातेदारी भूमि की जमाबन्दी बैंक ऋण हेतु ऑनलाईन डिजिटल निकलवाकर वकील से राजस्व दस्तावेजो की जांच करवाई तो अपीलान्ट से प्रथम बार दिनांक 29.11.2024 को ज्ञात हुआ कि नामान्तरण संख्या 265 दर्ज करते वक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट के नाम आगे पिता का नाम ताजाराम अंकित न कर रामचन्द्र लिखा है जो कि गलत है। उक्त इन्तकाल की कार्यवाही विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2012 के आधार पर खोली गई जिसमें प्राथी/अपीलान्ट के पिता का नाम ताजाराम अंकित है। उक्त इन्तकाल संख्या 265 को निरस्त कर सही नाम से अमल दरामद करने का निवेदन अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29.11.2024 को किया गया परन्तु रेस्पोडेन्टगण ने ऐसी दुरूस्ती करने से साफ इन्कार कर दिया तथा अपीलान्ट को कहा कि आप न्यायालय से आदेश लेकर आआगे तभी हम राजस्व रिकॉर्ड में तुम्हारे पिता का नाम "ताजाराम" अंकित कटेगे। यही अपीलान्ट की अपील का आधार है। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति है जिसे प्रथम बार उक्त इन्तकाल के जरीये राजस्व रिकॉर्ड के पिता का नाम गलत दर्ज होने की जानकारी 29.11.2024 को हुई है। जानकारी के दिन से अपील अपीलान्ट हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है जो कि न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है यदि न्यायालय के समक्ष अपील के मियाद बिन्दु पर आपत्ति दर्ज होती है तो प्राथी/अपीलान्ट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अपील बाबत् जानकारी के दिन से मियाद अवधि के अपील स्वीकार की जावे। अपीलान्ट रेस्पोडेन्टान के लापरवाही व गलती से दर्ज इन्तकाल संख्या 265 को अपने हक अधिकारों के समक्ष निरस्त करवाने का अधिकार रखता है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील मंजूर फरमा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 265 दिनांक 06.08.2012 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट की उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्वंय उपस्थित। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि हुक्माराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर का निवासी है। अपीलान्ट के नाम से रोही ग्राम देराजसर में रजिस्टर्ड खरीदशुदा कृषि भूमि खसर नंबर 792/774 तादादी 0.1265 हैक्टेयर (खाता संख्या नया 456) स्थित है। जिसके नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 01.08.2012 है तथा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट हुक्माराम के पिता का नाम लिपिकीय भूलवश रामचन्द्र अंकित हो गया है। जबकि अपीलान्ट हुक्माराम के पिता का सही नाम ताजाराम है जो कि उनके स्वंय के आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में अंकित है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को कोई आपति नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2012 को भूमि खरीद की है। अपीलान्ट की खरीद शुदा भूमि का इन्तकाल संख्या 265 दिनांक 06.08.2012 को स्वीकृत किया गया एवं स्टेट का हित सुरक्षित रखतें हुए आदेश किया जाता है तो स्टेट को कोई आपति नहीं है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत सूडसर द्वारा ईन्तकाल 265 दिनांक 06.08.2012 में विक्रयपत्र अनुसार अपीलान्ट के पिता का नाम सही रूप से दर्ज नहीं किया गया है। लिहाजा ग्राम पंचायत सूडसर द्वारा दर्ज ईन्तकाल संख्या 265 दिनांक 06.08.2012 को निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है।

आदेश

अपील अपीलान्ट आशिंक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सूडसर द्वारा स्वीकृत ईन्तकाल संख्या 265 दिनांक 06.08.2012 निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (रिमांड) की जाती है कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ पुनः विधिक रूप से विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2012 की जांच कर अपीलांट को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि संवत रूप से ईन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 28.4.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:06 IST
Reason: SelfAttested